

Date: 18.10.2021

Publication: Dainik Bhaskar

Page no.: 7

Edition: New Delhi

Headline: 'Pay as you go' in motor insurance helps save premium

मोटर इश्योरेंस लगातार 5 दावा-मुक्त वर्षों के लिए 50 फीसदी तक नो क्लेम बोनस मिल सकता है 'जितना चलाओ-उतना चुकाओ' से बचाएं बीमा के पैसे

क्या आपके पास एक से अधिक वाहन हैं और इनमें से किसी एक या दोनों वाहनों का बीमा रिन्यू कराने का वक़्त आ गया है? हम आपको यहाँ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप इश्योरेंस प्रीमियम में बचत कर सकते हैं...

जितना चलाओ, उतना चुकाओ

उपयोग-आधारित या टेलीमैटिक्स कार बीमा घरेलू बाजार में नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह धीरे-धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। परंपरागत रूप से मोटर बीमा कार के मेक और मॉडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि ग्राहक के ड्राइविंग पैटर्न से। इसके उलट 'पे एज यू ड्राइव' मॉडल कार के ड्राइविंग व्यवहार और इसके यूज पर जोर देता है, यानी कार द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर। वाहन द्वारा तय की जा रही दूरी के आधार पर प्रीमियम की गणना के हिसाब से प्रीमियम की लागत कम करने में मदद मिलती है और आप सामान्य प्रीमियम से काफी कम भुगतान करते हैं। इसलिए यदि आप कार कम चलाते हैं तो बेहतर होगा कि आप 'पे एज यू ड्राइव' मॉडल पर आधारित मोटर इश्योरेंस का विकल्प चुनें।



एंटी-थेफ्ट डिवाइस के दो फायदे

चोरी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी-थेफ्ट डिवाइस का अपना महत्व है। इसे लगाने के दो प्रमुख लाभ हैं, यह आपकी कार की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा यह कि यदि आपने एंटी-थेफ्ट डिवाइस कार में फिट किया है, तो बीमाकर्ता प्रीमियम पर छूट की पेशकश करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप छूट के लिए तभी पात्र होंगे जब डिवाइस को ऑटोमोटाइव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) द्वारा अनुमोदित किया गया होगा।

नो क्लेम बोनस का फायदा उठाएं

जब साल भर में कोई दावा नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी 'नो क्लेम बोनस' (एनसीबी) देती है, जो 20% से शुरू होती है। लगातार 5 दावा-मुक्त वर्षों के लिए अधिकतम 50% तक एनसीबी मिल सकता है। एनसीबी छूट आपके प्रीमियम को काफी कम देती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप दावा-मुक्त वर्षों के दौरान एनसीबी का विकल्प चुनते हैं। यदि कार में मामूली

खर्च आया है तो उसका दावा करने से बचें, क्योंकि यह आपकी नो-क्लेम की लीग को तोड़ देगा और आप अगले वर्ष में एनसीबी बोनस के पात्र नहीं होंगे।

स्वैच्छिक कटौती से घटता है प्रीमियम

लगभग सभी बीमा पॉलिसियों में अनिवार्य कटौती होती है। यह क्लेम की वह राशि होती है, जो बीमाधारक को वहन करनी होती है। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में कटौती 1,000 रुपए की है और आपकी क्लेम राशि 10

हजार रुपए है। इसका मतलब है कि बीमा कंपनी आपको 9,000 रुपए का भुगतान करेगी और 1,000 का खर्च आप खुद उठाएंगे। अनिवार्य कटौती बीमा कंपनी तय करती है। प्रीमियम पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि आप अधिक कटौती और नुकसान के दौरान अधिक राशि वहन करने के लिए तैयार हैं तो यह प्रीमियम की लागत कम करने में मदद कर सकता है।

पुराने वाहन के लिए थर्ड पार्टी कवर

आपकी कार बीमा में दो तत्व होते हैं। थर्ड पार्टी कवर और खुद की क्षति कवर मिलकर साथ में वे एक व्यापक कवर बनाते हैं। सड़क पर वाहन चलाने के लिए एक थर्ड पार्टी कवर एक अनिवार्य आवश्यकता है, जबकि खुद की क्षति स्वैच्छिक है। अगर आपकी कार 10 साल से अधिक पुरानी है, तो आप इस कम्पौनेंट को छोड़ सकते हैं और सिर्फ थर्ड पार्टी कवर लेकर प्रीमियम बचा सकते हैं।



गुरदीप सिंह बत्रा
हेड, रिटल अंडरराइटिंग, बजाज
आलियांज जनरल इश्योरेंस